

L.P. Sinha

I.A.S.H., F.I.E.

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,  
नगर आयुक्त पटना का कार्यालय,  
पटना नगर निगम, मौर्यालोक कम्पलेक्स,  
डाकबंगला, पटना-800001

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

दिवंगता सरस्वती देवी द्वारा अपने मकान राजीव सदन, 67/E, रोड नं० 11/F, राजेन्द्र नगर, पटना - 800016 का सम्पत्ति कर/होलिडिंग टैक्स का भुगतान पटना नगर निगम को उनके करिन्दे द्वारा नगद या On Line जमा कराया जाता था।

अनुरोध है कि सूचना के अधिकार के तहत मुझे यह सूचित किया जाय कि दिवंगता सरस्वती देवी के सम्पत्ति कर/होलिडिंग कर का मूल्यांकन उस नियमावली के तहत ही कराया गया है, जो पटना नगर निगम के पत्रांक 2489/स्था० दिनांक 18.05.2017 द्वारा मुझे उपलब्ध कराया गया है।

सुलभ सुविधा हेतु उक्त नियमावली जो पटना नगर निगम ने अपने पत्रांक 2489 दिनांक 18.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, वह नीचे उद्धृत है :-

सम्पत्ति कर निर्धारण एवं वसूली नियमावली के तहत किराया अथवा आवासीय दोनों भवनों का वार्षिक किराया मूल्यांकन का 9% दर से कर भुगतान ली जाती है तथा किराये की भवनों से 1.5 गुणा कर अधिरोपित होता है, जबकि आवासीय भवन में गुण 100% होता है।

अनुरोध है कि इस नियमावली के आधार पर उक्त संपत्ति का कर भुगतान किया गया है या नहीं, स्पष्ट किया जाए। यह भी बताएँ कि इस नियमावली के तहत कितना संपत्ति कर/होलिडिंग कर निर्धारित होगा?


इस कार्य हेतु सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नियमानुसार रू० 10.00 (दस रुपये) का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

I.P.O. No-42F-708162

Rs. 10=00

विश्वासभाजन

  
6192416  
(एल०पी० सिन्हा)

पटना न्यायालय


फाइल नं. 5495 दिनांक 03/06/17

प्राप्तक :- सहायक स्वाक्ष्य पत्राधिकारी - सच - लोकसूचना  
पत्राधिकारी, पटना न्यायालय

प्रेषित :- एलन पी. सिन्हा, रजनीव रायन, 67 E  
राज्य न्याय शैडन 11, पटना

विषय :- सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचना  
के सम्बन्ध में।

अज्ञात,  
उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में इसल  
के साथ मापियालक पत्राधिकारी - सच - लोकसूचना  
पत्राधिकारी के फाइल नं. 5495 / आग/ दिनांक 18/5/17  
इस फाइल के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

  
सहायक स्वाक्ष्य पत्राधिकारी  
- सच -  
लोकसूचना पत्राधिकारी  
पटना न्यायालय



# पटना नगर निगम

बाँकीपुर अंचल

(अम्बेदकर भवन, राजेन्द्र नगर, पटना-16)



पत्रांक-2489/स्था०

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी-सह-  
लोक सूचना पदाधिकारी,  
बाँकीपुर अंचल  
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी-सह-  
लोक सूचना पदाधिकारी,  
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-18/5/2017

विषय- सूचना के अधिकार के तहत आपके द्वारा माँगी गई सूचना के संबंध में।  
प्रसंग- भवदीय पत्र-2843, दिनांक-21.03.2017  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री एल०पी० सिन्हा द्वारा माँगी गई सूचना के क्रम में सूचित करना है कि सम्पत्ति कर निर्धारण एवं वसूली नियमावली के तहत किराया अथवा आवासीय दोनों भवनों का वार्षिक किराया मूल्यांकन का 9% दर से कर भुगतान ली जाती है तथा किराये की भवनों से 1.5 गुणा कर अधिरोपित होता है, जबकि आवासीय भवन में गुणक 100% होता है। ]

अतः भवदीय स्तर से आवेदक को सूचना दी जा सकती है।

विश्वासभाजन

18.5.17

कार्यपालक पदाधिकारी-सह-  
लोक सूचना पदाधिकारी,  
बाँकीपुर अंचल  
पटना नगर निगम